

परिशिष्ट 'क'

खण्ड (1)

सं०.....

स्टेशन पटाखा रजिस्टर

.....स्टेशन पर.

अनुदेश:-

1. इस रजिस्टर में निम्नलिखित भाग हैं:-
 भाग I स्टेशन पर समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले कुहासा या पटाखा सिगनल वालों का विवरण।
 भाग II जब कभी पटाखे इस्तेमाल किये जायें या प्राप्त हों, पटाखों (कुहासा सिगनल) की प्राप्ति और स्टेशन पर स्टाक का विवरण भरा जायेगा।
 भाग III कुहासे की अवधि, ड्यूटी पर कुहासा या पटाखा सिगनल वालों और प्रयुक्त पटाखों का ब्यौरा।
 भाग IV डिपो, स्टेशन और इंजन शेड आदि में कुहासा या पटाखा सिगनल के इशू करने और उनकी जांच का विवरण।
2. स्टेशन पर जैसे ही कोई व्यक्ति कुहासा या पटाखा सिगनल वाले के रूप में नियुक्त किया जाय अथवा उसकी ड्यूटी पर भेजा जाय, स्टेशन मास्टर को स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति कुहासे के मौसम में पटाखा (लगाने के नियम) के नियमों से पूर्ण रूप से परिचित है और उन्हें समझता है आश्वासन के लिए स्टेशन मास्टर को इस रजिस्टर के भाग (1) के उपयुक्त खाने में उसके हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान ले लेना चाहिए।
3. स्टेशन मास्टर इस बात की तसल्ली कर लेगा कि इस रजिस्टर में दी जाने वाली सूचनायें हर प्रकार से ठीक और अद्यतन हैं।
4. यातायात-निरीक्षक जब-जब स्टेशन पर आये, प्रत्येक बार रजिस्टर की तथा हस्तगत पटाखों के स्टाक की जांच करेगा और इस जांच की पुष्टि स्वरूप अपना लघु-हस्ताक्षर मय दिनांक, करेगा।

खण्ड (2)

आने वाली गाड़ियों के लोको पायलटों को सिगनल की स्थिति का संकेत देने के लिए स्टेशन पर कुहासा या पटाखा सिगनलों की सप्लाई तथा उपयोग के लिए अनुदेश

1. **भर्ती:** कुहासा या पटाखा सिगनल मैनों की भर्ती, स्टेशन पर नियुक्त यातायात विभाग के कर्मचारियों तथा इंजीनियरिंग विभाग के गैंगमैनो में से की जायेगी। परन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसे कर्मचारी एवजी पर नहीं लगाये जायेंगे बल्कि स्थायी कर्मचारी ही होंगे।
2. **सहायता:** कुहासा होने वाले क्षेत्र के स्टेशनों पर जब कुहासा या पटाखा सिगनल मैन बिमारी या आधिकृत अवकाश की वजह से, अनुपस्थिति हो तो उनके स्थान पर काम करने वाले सहायता कर्मचारियों का प्रबन्ध मण्डल परिचालन प्रबंधक करेगा।
3. **सप्लाई तथा इस्तेमाल का तरीका:-** (i) कुहासा या पटाखा सिगनल खम्भे पर भेजते समय प्रत्येक कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को 20 पटाखे दिये जायेंगे। स्टेशन मास्टर इस बात की तसल्ली कर लेगा कि प्रयुक्त (इस्तेमाल किये गये) पटाखों कुहासा सिगनल के बदले आवश्यकतानुसार दूसरे नये पटाखे (कुहासा सिगनल) इन कर्मचारियों के पास भेजे जाते हैं।
 (ii) प्रत्येक स्टेशन पर बाह्यतम सिगनल के पीछे बनाये गये प्रत्येक कुहासा या पटाखा सिगनल खम्भे पर एक कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को भेजना चाहिए।
 (iii) कुहासा या पटाखा सिगनल खम्भे के पास पहुँचकर प्रत्येक कुहासा या पटाखा सिगनल मैन

APPENDIX 'A'
SECTION (1)

No.....

STATION DETONATOR REGISTER

At.....

Instructions: -

1. This Register contains the following parts:-
 - Part-I Particulars of Fog Signalmen posted at the station from time to time.
 - Part-II Particulars of receipt and stock of detonating (fog) signals at the station, to be filled in whenever detonators are used or received.
 - Part-III Periods of fogs, Fog Signalmen on duty and details of detonators used.
 - Part-IV Particulars of issue and testing of Fog signals at Depot, Station, Loco Shed, etc.
2. As soon as a man is posted to or detailed for duty at a station as a Fog Signalman, the Station Master must satisfy himself that the man is fully acquainted with and understands the rules relating to the placing of detonating (fog) signals at stations during thick or foggy weather. As an assurance of this the Station Master shall take the signature or thumb impression of such men in the appropriate column of Part-I of this register.
3. The Station Master shall ensure that the information to be maintained in this register is kept up to date and is accurate in all respects.
4. Transportation Inspectors shall check the register, as also the stock of detonators on hand, each time they visit a station and initial with date as an indication of their having done so.

SECTION (2)

Instruction for the Supply and Use of Detonating (Fog) Signals at Stations to Indicate to the Loco Pilots of Approaching Trains, the Location of a Signal.

1. **Recruitment:-** Fog Signalmen will be detailed for duty at stations, being recruited partly from the station Traffic staff and partly from Engineering gangmen and must not be substitutes, but regular employees of the Railway.
2. **Relief:-** Divisional Operating Manager will arrange for a Relief Force for relieving Fog Signalmen at stations in areas in which fogs are prevalent, when such men are absent on account of sickness or authorized leave.
3. **Supply and Method of Use:-** (i) Each Fog Signalman while being sent to the Fog Signal Post will be given 20 detonating (fog) signals (Patakha). The Station Master shall ensure that fresh supplies of detonating (fog) signals are sent out as necessary, to the men in replacement of those used.
 - (ii) One Fog Signalman must be sent to each of the fog signal posts which are erected at stations in rear of (i.e. outside) the outermost signal.
 - (iii) Each Fog Signalman on reaching the fog signal post must at once place and secure on the rails two fog signals (Patakha) about 10 meters from each other,

सामने वाली लाइन पर तुरन्त दो पटाखे लगा देगा। उसे एक पटाखा खम्भे के बगल वाली लाइन पर और दूसरा 10 मीटर की दूरी पर आने वाली गाड़ी की दिशा में दूसरी लाइन पर लगाना चाहिए।

- (iv) तत्पश्चात् उस कर्मचारी कुहासा या पटाखा सिगनली खम्भे से 45 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर खड़े रहना चाहिए (सहायक नियम 3.61 में दी गयी आकृति देखिए)।
 - (v) ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए कि कुहासा या पटाखा सिगनल मैन एक साथ लगातार 3 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं रखे जाते हैं।
 - (vi) कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को सहायक नियम 3.61 के अनुसार केबिनमैन या स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए जाने के अतिरिक्त अपना स्थान तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उनकी जगह पर दूसरा कर्मचारी ड्यूटी पर न आ जाये।
 - (vii) ड्यूटी के समय, कुहासा या पटाखा सिगनल खम्भे पर नियुक्त कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को सोना वर्जित है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी जागरूकता और कर्तव्य परायणता पर बहुत से व्यक्तियों का जीवन निर्भर है।
 - (viii) जिस समय कुहासा या पटाखा सिगनल मैन अपनी ड्यूटी से वापस आने वाला हो, उस समय यदि कोई गाड़ी आ रही हो तो वह उसकी जगह पर ड्यूटी करने के लिए नियुक्त कर्मचारी लाइन पर लगाये गये पटाखों पर से गाड़ी को चले जाने देंगे। जैसे ही गाड़ी चली जाय या यदि कोई गाड़ी न हो तो जो कुहासा या पटाखा सिगनलमैन ड्यूटी से भारमुक्त हो रहा हो, वह दोनों लगाये गये पटाखों को, बिना इस्तेमाल किये गये पटाखों के साथ और इस्तेमाल किये गये पटाखों के खोलने को लेकर स्टेशन वापस चला आयेगा। काम पर आने वाला दूसरा कर्मचारी दो नये पटाखों को पैरा (iii) में दिये गये अनुदेश के अनुसार लाइन पर लगा देगा।
4. **ब्रांच लाइन के लिए छूट:**— ब्रांच लाइन या जिन सेक्शनों में यातयात कम हो, ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर 'विशेष अनुदेशों' के अन्तर्गत, प्रत्येक गाड़ी के आने के समय कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को पटाखा कुहासा या सिगनल खम्भे पर भेज सकता है। ऐसी क्रिया—विधि का अनुसरण तभी किया जायेगा जबकि यह स्टेशन संचालन नियमों में निर्दिष्ट हो तथा सहायक नियम 3.61 के अनुसार हो।
5. **पटाखा लगाने की विधि:**— पटाखे के लेवल या छाप को उपर की ओर करके लाइन के उपर रख दिया जायेगा और उसकी पत्तियों को मोड़कर लाइन के शीर्ष भाग के गिर्द जमा दिया जायेगा।
6. **मिश्रित गेज पर पटाखे (कुहासा) सिगनल रखना :**— जहाँ इन नियमों के अन्तर्गत मिश्रित (गेजों) पर पटाखों का लगाना आवश्यक हो, तो पटाखे हर गेज की एक पटरी पर या उस पटरी पर जो दोनों में उभयनिष्ठ है, लगाये जायेंगे।

उदाहरण :—

(क) जहाँ एक पटरी दोनों गेजों में उभयनिष्ठ हो।

क <----- (10 मीटर) -----> क

(1)

(2)

(3)

(1) बड़ी और मीटर दोनों गेज की उभयनिष्ठ पटरी।

(2) मीटर लाइन की पटरी।

(3) बड़ी लाइन की दूसरी पटरी।

- one being opposite and on the rail next to the fog signal post and the other beyond it and in the direction from which the incoming train would come.
- (iv) He will then station himself 45 meters behind the fog signal post (see diagram under Subsidiary Rule 3.61)
 - (v) The Station Master on duty must see that Fog Signalmen are not kept on duty at fog signal posts for more than 3 hours at a stretch.
 - (vi) Fog Signalmen must never leave their posts until relieved by another trained Fog Signalman, except when he has to report to the Cabin man or the Station Master in compliance with Subsidiary Rule 3.61.
 - (vii) A Fog Signalman must never sleep whilst on duty at the fog signal post. He must realize that the lives of many people depend on his alertness and devotion to duty.
 - (viii) If a train is approaching at the time a Fog Signalman is being relieved at a fog signal post, both men will allow that train to pass and explode the detonating (fog) signals already placed and secured on the line. As soon as the train has passed, or if no train is approaching, the Fog Signalman who is being relieved will pick up the last two detonator (fog) signals he has placed on the line and take them with any unexploded detonators or exploded cases he has back to the station. the Fog Signalman coming on duty will place two fresh detonators on to the line as laid down in paragraph (iii) of these instructions.
4. **Exception for Branch Lines:** - On branch lines or sections, on which traffic is light, the Station Master on duty may, under “special instructions”, send a Fog Signalman out to the fog signal post for reception of each individual train. This procedure will only be permitted if it is provided for in the station Working Rules and in accordance with Subsidiary Rule 3.61.
5. **Method of Securing:** - Detonating (fog) signals shall be placed on the line with the label or brand, upwards, and shall be secured by bending the clasp round the head of the rail.
6. **Placing detonating (Fog) Signals on a mixed gauge:** - Where the use of detonators is necessary under these rules on a mixed gauge detonators shall be placed on one rail of each gauge, or on the rail common to both.

Examples: -

- (a) Where one rail is common to both gauge.

A <-----> 10 meters -----> A

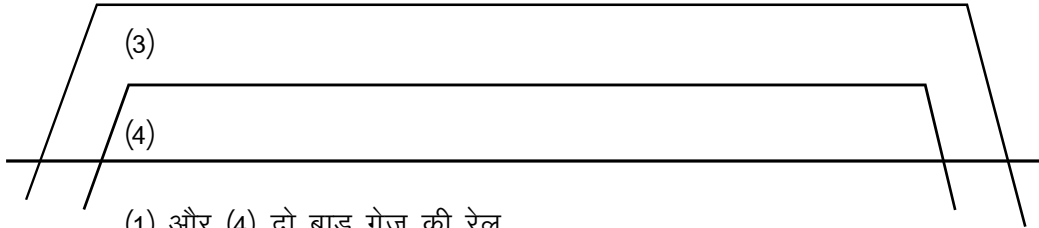
- (1)
- (2)
- (3)

- (1) Rail common to broad gauge and meter gauge.
- (2) Metre gauge rail.
- (3) Second broad gauge rail

(ख) जहाँ पर कोई पटरी दोनों गेजों में उभयनिष्ठ न हो

(1) क <----- (10 मीटर) -----> क

(2) ख <----- (10 मीटर) -----> ख



(1) और (4) दो ब्राड गेज की रेल

(2) और (3) दो मीटर गेज की रेल

(ग) (क) के मामले में पटाखा (कुहासा) सिगनल क..... क पर लगाये जायेंगे।

नोट:- पटाखा (कुहासा) सिगनल को सदा दोनों लाइनों (गेज) के उभयनिष्ठ पटरी पर लगाना चाहिए चाहे वह पटाखा सिगनल खम्भों के निकट हो या न हो।

(घ) (ख) के मामले में पटाखा (कुहासा) सिगनल क क और ख.....ख पर लगाये जायेंगे।

7. **पटाखा (कुहासा) सिगनल का नवीनीकरण-** दोहरी और इकहरी लाइनों दोनों पर प्रत्येक गाड़ी के लिए पटरियों पर पटाखा (कुहासा) सिगनल लगाये जायेंगे और गाड़ी के उनके उपर से गुजर जाने के बाद उनकी जगह हर बार नये पटाखे लगाये जायेंगे।

8. **हैंड सिगनल:-** (i) कुहासा, आँधी या तूफान के मौसम में लाइन पर कुहासा या पटाखा सिगनल मैन सदा जलती हुई हाथ बत्ती लिए रहेगा।

(ii) यदि कुहासा या पटाखा सिगनल मैन को किसी बाधा के बारे में जानकारी हो तो उसे आने वाली गाड़ी को खतरे का हैंड सिगनल दिखलाना चाहिए। किसी अन्य परिस्थिति में उस आनेवाली गाड़ी के लोको पायलट को हैंड सिगनल नहीं देना चाहिए, परन्तु इकहरी लाइन सेक्शनों में स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को आगे बढ़ो (हरा) हैंड सिगनल देगा।

9. **नियमों की स्वीकृति:-** स्टेशन मास्टर को कुहासा सिगनल मैन अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर "स्टेशन पटाखा रजिस्टर" में इस बात के लिए लेना चाहिए कि वे पटाखा सम्बन्धी नियमों को जानते हैं और उन्हें समझते हैं।

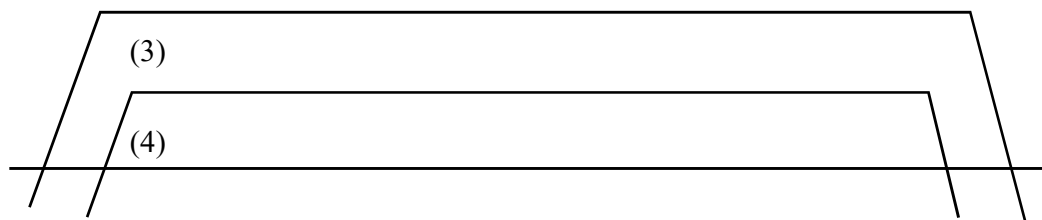
10. **पटाखा (कुहासा) सिगनल और विस्फोटित खोलों का रिकार्ड:-** (i) ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर इस बात की तसल्ली करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कुहासा या पटाखा सिगनल मैन, पटाखा सिगनल खम्भे पर जाने से पहले उन्हें इश्यू किये गये पटाखों की गिनती कर लेते हैं। यह संख्या "स्टेशन पटाखा रजिस्टर" में परिशिष्ट 'क' के फार्म में स्टेशन मास्टर द्वारा लिख दी जायेगी तथा उस कर्मचारी के और स्टेशन मास्टर के संयुक्त हस्ताक्षर रजिस्टर में होंगे।

(ii) जैसे ही प्रत्येक गाड़ी लगाये गये पटाखों से गुजर जाय, पटाखे वाला, अपना कार्य समाप्त होने पर विस्फोटित खोलों को (या जो पटाखे विस्फोटित न हुए हों उनको भी एकत्रित कर लेगा)। जब वह वापस बुलाया जाय या मौसम साफ हो जाय तो वापस आते समय सभी प्रयुक्त और अप्रयुक्त पटाखे लेकर स्टेशन मास्टर को वापस कर देगा। स्टेशन मास्टर इनको स्टेशन पटाखा रजिस्टर में परिशिष्ट 'क' के फार्म में दर्ज करेगा तथा स्टेशन मास्टर और कुहासा या पटाखा सिगनल मैन दोनों इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि कुहासा या पटाखा सिगनल मैन अशिक्षित हो तो स्टेशन मास्टर उसके अंगूठे का निशान ले लेगा।

(B) Where there is no rail common to the two gauge.

(1) A < -----(10 Metre) -----> A

(2) B < ----- (10 Metre) -----> B



(1) and (4) Two broad gauge rails.

(2) and (3) Two meter gauge rails.

(C) In case (a) the detonator (fog) signal will be placed at A.....A

Note:- The detonating (fog) signals must always be placed on the rail common to both gauge, irrespective of whether it is nearest to the fog signal post or not.

(D) In case (b) the detonating (fog) signals must be placed at A.... A and B....B

7. **Renewal of detonating (Fog) Signal:-** On both double and single lines, detonating (fog) signals shall be placed on the rails for each train and shall be renewed each time a train passes over them.

8. **Hand Signals:-** (i) The Fog Signaller shall always carry a lighted hand signal lamp in foggy or tempestuous weather or in a dust storm.

(ii) If the Fog Signaller is aware of any obstruction on the line, he shall show a "danger" hand signal to an approaching train. Under no other circumstances shall a Fog Signaller show a hand signal to the Loco Pilot of an approaching train, but on single line sections, for a train leaving a station, the Fog Signaller shall show a "proceed" (green) hand signal to the Loco Pilot.

9. **Acknowledgment of Rules:-** The Station Master must obtain the signature or thumb impression of Fog Signaller in the "Station Detonator Register", as an acknowledgment that they know and understand the rules for fog signaling of trains.

10. **Record of detonating (Fog) Signals and exploded Cases:-** (i) The station Master on duty shall be responsible for ensuring that the Fog signallers, before going out on duty to the fog signal posts, count the numbers of detonating (fog) signals issued to them. This number will be entered in the "Station Detonator Register" in Form Annexure-I and the Station Master on duty and the fog Signaller shall jointly sign this entry.

(ii) As each train has passed over the detonating (fog) signals placed for it, the Fog Signaller will collect the exploded cases (not omitting the cases of detonators which have failed to explode) and when his period of duty is over, or when he is recalled on the weather clearing up, he shall bring all the used detonators and any unused detonators he still has, and make them over to the Station Master on duty. The Station Master on duty must enter in the "Station Detonator Register" in Form Annexure-I the number of used detonators and unused detonators, and both the Station Master and Fog Signaller will sign against this entry. If the Fog Signaller is illiterate the Station Master will take his thumb impression.

परिशिष्ट 'क'

जारी.....

भाग - I

.....रेलवे

अनुलग्नक 'I'

पटाखा लगाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति

स्टेशन.....

स्टेशन पर काम करने की अवधि		पटाखा लगाने वाले का नाम	पटाखा लगाने वाले का स्थायी पद	पटाखा लगाने वाले का आश्वासन (एश्योरेंस)	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर द्वारा पटाखा लगाने वाले व्यक्ति के कार्य संबंधी जाँच की तारीख	पटाखा लगाने वाले का हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
से	तक							

परिशिष्ट 'क'

जारी.....

भाग – II

.....रेलवे

अनुलग्नक 'I'

पटाखों का स्टॉक

तारीख	पटाखों का प्रारम्भिक शेष	स्टॉक की प्राप्ति	प्राप्ति का विवरण	दिन में उपयोग में लगाया गया स्टॉक	हस्तगत पटाखों का अन्तिम शेष	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

APPENDIX 'A'
PART – II

Contd.....

ANNEXURE 'I'

.....RAILWAY

STOCK OF DETONATING (FOG) SIGNALS

DATE	Opening balance of the Fog Signal	Stock received on date	Particulars of Receipt	Stock used during day	Closing Balance of deto- nators on hand	Signature of Station Master

परिशिष्ट 'क'

जारी.....

अनुलग्नक '।'

भाग - III

.....रेलवे
.....स्टेशन

तारीख	कुहरे की अवधि				इयूटी पर तैनात पटाखा लगाने वाले का नाम	पटाखा लगाने वाले को भेजने का समय		दिये गये पटाखों की संख्या		पटाखा लगाने वाले का अंगूठा निशान या हस्ताक्षर	इयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	
	प्रारम्भ होने और कन्ट्रोल को सूचना देने का समय		समाप्त होने और कन्ट्रोल को सूचना देने का समय			पटाखा लगाने वाले को	नवीकरण के लिए भेजा गया					
	घं.	मि.	घं.	मि.			संख्या	समय				
1	2		3		4	5		6	7		8	9

गाड़ी जिसके लिये उपयोग किये गये	पटारखा लगाने वाले का स्टेशन पर वापस आने का समय	इयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की वापस किये गये पटारखों की संख्या						टिप्पणी
		अप्रयुक्त पटारखों की संख्या	प्रयुक्त पटारखों के खोखे और न फटने वाले पटारखे	(12) और (13) में गणना न किये गये पटारखों का शेष	गणना में न आने वाले पटारखों के लिए स्पष्टीकरण	पटारखा लगाने वाले का या उसका अंगूठा निशान	इयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

APPENDIX 'A'

Contd.....

ANNEXURE 'I'

PART – III

.....RAILWAY

.....Station

DATE	Duration of fog				Name of fog signalman on duty	Time fog signalman sent out		No. of detonating (fog) signals issued		Signature/Thumb impression of fog signalman	Signature of Station Master	
	Time commenced & control advised		Time cleared & control advised			H.	M.	To F/S man	Sent out for renewal			
	H.	M.	H.	M.					No.			Time H.M.
1	2		3		4	5		6	7		8	9

Trains for which issued	F/S man returned to station	No. of detonators returned to Station Master on duty						Remarks
		Unused detona- tors	Shells of exploded detonators and those detonators which failed to explode	Balance of detonators not accounted by 12 & 13	Explanation for not accounted for detonators	Signature or thumb impression of fog signalman	Station Master	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

जारी.....

परिशिष्ट-'क'

भाग IV

अनुलग्नक -1

.....रेलवे.....स्टेशन / शेड / कार्यालय

क्र.सं.	नाम	पद	टिकट नं. और पी. एफ. नम्बर	जारी करने की तारीख	जारी किये गये पटाखों की संख्या	पटाखों के निर्माण का महीना और वर्ष	प्रयुक्त पटाखों की संख्या	प्रयोग की तिथि	बदले गये पटाखों के निर्माण का महीना और वर्ष	जौंच किये गये पटाखों की संख्या	जौंच की तारीख	जौंच किये गये पटाखों के निर्माण का महीना और वर्ष



Contd.....
APPENDIX 'A'

PART - IV

No.....
ANNEXURE 'T'

.....RAILWAY.....Station/Shed/Office

S.N.	Name	Design.	Ticket No. & P.F. No.	Date of Issue	No. of detonators issued	Year & month of manufacture of detonators	No. issued	Date used	Month & Year of manufacture of the replaced detonators	No. of detonators tested	Date of test	Month & year of the detonators tested

